पत्रांक–जी / म0प्रति–03–01 / 2015 (खण्ड)-4217- /

बिहार सरकार
गृह विभाग
(विशेष शाखा)

प्रेषक,

आमिर सुबहानी
सरकार के प्रधान सचिव

सेवामें,

सभी जिला पदाधिकारी
सभी वरीय पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक

पटना, दिनांक– 02 मई, 2016

विषयः– **राज्य के सभी जिला एवं अनुमंडल न्यायालयों की सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने हेतु न्यायालयों के सुरक्षा ऑडिट करने के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि माननीय पटना उच्च न्यायालय एवं सभी अधीनस्थ जिला एवं अनुमंडल न्यायालयों की सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने के संबंध में विभागीय पत्रांक–1774 दिनांक–13.02.2015 से आवश्यक कदम उठाने के संबंध में निदेश दिया गया था। विभागीय पत्रांक–1775 दिनांक–13.02.2015 से प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग से न्यायालय एवं न्यायिक पदाधिकारियों के आवासीय परिसर की सुरक्षा सुदृढ़ करने के लिए चाहरदिवारी उँचा करने एवं उस पर कँटीले तार से घेराबंदी तथा सभी प्रवेश एवं निकास द्वारों पर लोहे के गेट स्थापित करने का अनुरोध किया गया था।

2. हाल में न्यायालयों में हुई घटनाओं को ध्यान में रखते हुए राज्य के सभी अधीनस्थ न्यायालयों की सुरक्षा ऑडिट कराकर आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराने की आवश्यकता प्रतीत हुई। समयक विचारोपरान्त राज्य के सभी जिला एवं अनुमंडल न्यायालयों का सुरक्षा ऑडिट त्रिसदस्यीय समिति के द्वारा कराने का निर्णय लिया गया। इस त्रिसदस्यीय समिति का गठन निम्नवत होगाः–

I. जिला पदाधिकारी– अध्यक्ष।
II. वरीय पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक– सदस्य सचिव।
III. भवन निर्माण विभाग के संबंधित कार्यपालक अभियंता जिनके क्षेत्राधिकार में जिला व्यवहार न्यायालय / अनुमंडल न्यायालय का भवन हो–सदस्य।

3. समिति राज्य व्यवहार न्यायालयों के सुरक्षा ऑडिट 15 दिनों के अन्दर करेगी। यह समिति न्यायालयों के सुरक्षा ऑडिट के संबंध में निम्न बातों को ध्यान में रखेगीः–

i. न्यायालय परिसर की सामान्य सुरक्षा की स्थिति।
ii. संवेदनशील विचाराधीन मामले एवं Specific Threat.
iii. न्यायालय परिसर की चाहरदिवारी की स्थिति क्या सुरक्षात्मक दृष्टि से इसकी उँचाई बढ़ाने या अन्य कोई सुरक्षात्मक कार्य करने की आवश्यकता है।
iv. क्या न्यायालय के प्रवेश एवं निकास द्वार की संख्या एवं स्थिति सुरक्षा की दृष्टि से पर्याप्त एवं अनुकूल है ?
v. न्यायालय परिसर एवं भवन के प्रवेश द्वार पर सुरक्षा की दृष्टि से लगाये जाने वाले मेटल डिटेक्टरों की आवश्यक संख्या।

P.T.O

vi. क्या न्यायालय में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों एवं न्यायालय में उपस्थापित किये जाने वाले बंदियों की Frisking/Cheking की जाती है?

vii. क्या न्यायालय परिसर में HHMDs/DFMDs/CCTVs की सुविधा उपलब्ध है?

viii. क्या न्यायालय में आपातकालीन निकास–द्वार की व्यवस्था है?

ix. क्या न्यायालय की सुरक्षा हेतु पर्याप्त संख्या में पुलिस बल उपलब्ध हैं?

x. क्या न्यायालय की सुरक्षा हेतु पदस्थापित पुलिस बल के पास पर्याप्त संचार उपकरण उपलब्ध है?

xi. क्या न्यायालय के प्रवेश द्वार पर पुलिस बल हेतु मोर्चा की व्यवस्था उपलब्ध है?

xii. क्या न्यायायिक पदाधिकारी, अधिवक्ता एवं आम जनता हेतु गाडियों की पार्किंग का अलग स्थान उपलब्ध है?

xiii. क्या न्यायालय परिसर में जन सुविधाओं की उपलब्धता एवं संवर्द्धन की आवश्यकता है?

उपरोक्त दर्शाये गए बिन्दुओं के अतिरिक्त स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार समिति सुरक्षा ऑडिट में अपने विवेक के अनुसार नये बिन्दुओं को शामिल करेगी।

4. न्यायालय परिसर में प्रवेश को नियंत्रित करने के लिए Pass व्यवस्था रखे जाने का निर्णय लिया गया। माननीय न्यायाधीशों, अधिवक्ताओं एवं कर्मचारियों के लिए जिला न्यायालय द्वारा परिचय पत्र जारी किये जायेंगे। मुकदमे के पक्षकार एवं आम जनता हेतु संबंधित अधिवक्ता द्वारा पहचान स्थापित कराये जाने के उपरान्त जिला न्यायालय द्वारा दैनिक Pass जारी किया जाएगा।

5. समिति अपने ऑडिट प्रतिवेदन, सुझाव/अनुशंसा सहित पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश का लिखित सहमति प्राप्त करेगी।

6. समिति न्यायालय भवन एवं परिसर में सी0सी0टी0वी0 कैमरे एवं DFMD लगाने के स्थानों का चयन कर विधि विभाग को, जिला एवं सत्र न्यायाधीश की सहमति के साथ, न्यायालय भवन/परिसर में सी0सी0टी0वी0 एवं DFMD लगाने के संबंध में प्रस्ताव भेजेगी। समिति से प्रस्ताव प्राप्त होने के पश्चात गृह विभाग बेल्ट्रॉन, पटना, बिहार से सी0सी0टी0वी0 के लिए एवं DFMD के लिए पुलिस मुख्यालय से प्राक्कलन प्राप्त कर उसे इस कार्य के निमित आवश्यक राशि उपलब्ध करायेगा।

7. यदि समिति की राय में सुरक्षा के दृष्टिकोण से न्यायालय परिसर को नये चाहरदिवारी से घेरने अथवा पूर्व की चाहरदिवारी की उँचाई बढ़ाने, न्यायालय भवन के भूतल के बरामदे को लोहे के ग्रील से घेरने अथवा भवन में अन्य संरचनात्मक सुधार/निर्माण की आवश्यकता हो तो वह अपना प्रतिवेदन, जिला एवं सत्र न्यायाधीश की लिखित सहमति प्राप्त करने के उपरान्त विधि विभाग को प्रेषित करेगी। समिति का ऑडिट प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात विधि विभाग इन कार्यों हेतु आवश्यक राशि उपलब्ध करायेगा।

8. समिति सुरक्षा ऑडिट प्रतिवेदन अपने सुझाव/अनुशंसा सहित गृह विभाग एवं विधि विभाग को भेजी जाएगी। संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त एवं क्षेत्रीय पुलिस उप महानिरीक्षक का यह दायित्व होगा कि वे द्वैमासिक स्तर पर न्यायालयों की सुरक्षा हेतु समिति द्वारा की गई अनुशंसाओं के कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण एवं अनुशीलन करेंगे। प्रमंडलीय आयुक्त एवं क्षेत्रीय पुलिस उप महानिरीक्षक अपना प्रतिवेदन द्वैमासिक स्तर पर गृह विभाग को उपलब्ध करायेंगे।

9. सुरक्षा ऑडिट प्रतिवेदन के आधार पर न्यायालयों की सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने का कार्य चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। प्रथम चरण में सभी जिला न्यायालयों तथा द्वितीय चरण में सभी अनुमंडल न्यायालयों को इसमें शामिल किया जाएगा।

विश्वासभाजन

सरकार के प्रधान सचिव 2.5.16

ज्ञापांक–जी/म0प्रति–03–01/2015 (खण्ड)-4217/ पटना, दिनांक–02 मई, 2016

प्रतिलिपिः– महानिबंधक, पटना उच्च न्यायालय, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक–जी/म0प्रति–03–01/2015 (खण्ड)-4217/ पटना, दिनांक–02 मई, 2016

प्रतिलिपिः– पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी क्षेत्रीय पुलिस उप महानिरीक्षक/सचिव, भवन निर्माण विभाग एवं सचिव विधि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक–जी/म0प्रति–03–01/2015 (खण्ड)-4217/ पटना, दिनांक–02 मई, 2016

प्रतिलिपिः–सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीश को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव

2.5.16